

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1-12-2018-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दिनांक 01 जनवरी 2019 से, जिला रीवा की तहसील हुजूर की सीमाएं, उसमें से, राजस्व निरीक्षक वृत्त रीवा-1 के पटवारी हल्का क्र. 19 से 37 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और तहसील हुजूर के राजस्व निरीक्षक वृत्त रीवा-1 के पटवारी हल्का क्र. 19 से 37 को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील हुजूर नगर का सृजन करती है, जिसमें कुल 19 पटवारी हल्के होंगे और 83 ग्राम समाविष्ट होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय रीवा में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1-12-2018-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-12-2018-सात-6, भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 17<sup>th</sup> December 2018

No. F-1-12-2018-VII-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alters the limits of Tehsil Huzur of District Rewa from 1st January 2019, by excluding therefrom Patwari Halka No. 19 to 37 Revenue Circle Rewa-1 and creates a new Tehsil Huzur Nagar by comprising of Patwari Halka No.19 to 37 of Revenue Circle Rewa-1 of Tehsil Huzur, in which the total Patwari Halkas shall be 19 and villages Shall be 83. The headquarter of the said Tehsil shall be at Rewa.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
HARI RANJAN RAO, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1-13-2018-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दिनांक 01 जनवरी 2019 से, जिला रतलाम की तहसील रतलाम की सीमाएं, उसमें से, पटवारी हल्का क्र. 23, 25 से 51, 84, 85, 92 एवं 93 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और तहसील रतलाम के पटवारी हल्का क्र. 23, 25 से 51, 84, 85, 92 एवं 93 को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील रतलाम नगर का सृजन करती है, जिसमें कुल 32 पटवारी हल्के होंगे और 62 ग्राम समाविष्ट होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय रतलाम में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1-13-2018-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-13-2018-सात-6, भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 17<sup>th</sup> December 2018

No. F-1-13-2018-VII-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alters the limits of Tehsil Ratlam of District Ratlam from 1st January 2019, by excluding therefrom Patwari Halka No. 23, 25 to 51, 84, 85, 92 and 93 and creates a new Tehsil Ratlam Nagar by comprising of Patwari Halka No. 23, 25 to 51, 84, 85, 92 and 93 to Tehsil Ratlam, in which the total Patwari Halkas shall be 32 and villages Shall be 62. The headquarter of the said Tehsil shall be at Ratlam.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
HARI RANJAN RAO, Principal Secy.